महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

NAAC Accreditation- "A" Grade

ज्ञान शांति मैत्री

प्रो. कृष्ण कुमार सिंह

Prof. Krishna Kumar Singh

कार्यकारी कुलसचिव/Acting Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661

फ़ैक्स / Fax: +91-7152-2309

पत्रांक: 005/2009/GEN/5 (3)/2017/P. F./781

दिनांक: 12.07.2018

सूचना

विगत अकादमिक सत्रों में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों/केन्द्रों में विद्यार्थियों/शोधार्थियों की उपस्थिति से संबंधित कई मामले सामने आए हैं। इस तरह के मामले विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल करते हैं। अतः ऐसे मामले पुनःघटित न हो इसके लिए विश्वविद्यालय के सभी प्रभारियों/विभागाध्यक्षों/निदेशकों/अधिष्ठाताओं से अनुरोध है कि अकादमिक सत्र: 2018-19 में प्रवेश प्राप्त एवं पूर्व के अकादमिक सत्रों से अध्ययनरत/शोधरत सभी विद्यार्थियों/शोधार्थियों को **नियमित रूप से विभाग/केंद्र में उपस्थित रहने हेतु** विभाग/केंद्र स्तर पर लिखित रूप में सूचित करें। अनुपस्थित विद्यार्थियों/शोधार्थियों को प्रत्येक माह के अंत तक लिखित में सूचित करें कि वे विश्वविद्यालय के अकादमिक अध्यादेश के अनुसार 75% से कम उपस्थिति की स्थिति में संबंधित पाठ्यक्रम की लिखित या प्रायोगिक परीक्षा में बैठने हेतु पात्र नहीं होंगे एवं **अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले एम.फिल./पी-एच.डी. शोधार्थियों पर विश्वविद्यालय के शोध-अध्यादेश के अनुसार उचित प्रक्रिया के अंतर्गत कार्रवाई होगी।**

प्रभारियों/विभागाध्यक्षों/निदेशकों/अधिष्ठाताओं से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे विद्यार्थियों/शोधार्थियों की कक्षा/विभाग में नियमित उपस्थिति हेतु अपने स्तर पर परामर्श की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

यह सूचना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निर्गत की जाती है।

(कृष्ण कुमार सिंह) 12/07/18

प्रतिलिपिः

1. कुलपति कार्यालय।
2. कुलसचिव कार्यालय।
3. कुलानुशासक कार्यालय।
4. अधिष्ठाता, विद्यार्थी-कल्याण।
5. विश्वविद्यालय के सभी प्रभारी/विभागाध्यक्ष/निदेशक/अधिष्ठाता।
6. लीला प्रभारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
7. कार्यालय प्रति।